Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 05 / 2024

श्रीमती सुनीता
निवासी– 192, चन्दर नगर,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि प्रार्थी जो कि जन्म से ही एक पैर से अपंग है, जन्म से लेकर अभी तक अपने माता–पिता के साथ रह रही थी, माता–पिता ने 700 फीट वर्ग में एक कमरे का सैट दान स्वरूप दिया गया गया है, मेरी शादी को 23 वर्ष हो गये है, मेरी एक बेटी है। पति प्राईवेट कार्य करते है, हम तीनों लगभग 22 वर्षो से इसी कमरे में रहते है। मेरी आयु लगभग 47 है और क्षेत्रीय पार्षद भी मुझे लगभग 45 बर्षों से जानते है, जिसकी पुष्टि पार्षद द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से हो जाती है। मेरे द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु पंजीकरण संख्या 488050424001 के द्वारा आवेदन किया गया था,

परन्तु उपखण्ड अधिकारी पटेल रोड द्वारा नियमानुसार आवेदन करने के उपरांत आज तिथि तक विद्युत संयोजन नहीं दिया गया है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 225, दिनांकित 23/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 05/2024 श्रीमती सुनीता 192 चन्दर नगर, देहरादून का आवेदन उपखड कार्यालय पटेल रोड में दिनांक 05.04.2024 रजिस्ट्रेशन नं0 488050424001 को किया गया। अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि जिस भवन पर श्रीमती सुनीता विद्युत संयोजन लेना चाहती है, वह भूमि विवादित है।

1. अधिशासी के पत्रांक सं0 3170 न0वि0ख0(के)/दे0दून/राजस्व/दि030.08.2023
2. निदेशक (परिचालन) के पत्रांक सं0 2622/नि0(परिचालन)/उपाकालि/C-13 दि0 11.07.2023
3. कार्यालय नगर निगम देहरादून के आधार पर।
4. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग दे0दून के पत्रांक उविनिआ/5/Tech/732/2023.24/375 दि0 07.07.2023.

उपरोक्त सभी पत्रांको के आधार पर श्रीमती सुनीता के विद्युत आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा पंजीकरण संख्या 488050424001 के द्वारा नियमानुसार आवेदन करने के उपरांत भी शिकायत करने की तिथि तक विद्युत संयोजन प्रदान नहीं किया गया है । श्रीमती सुनीता 192 चन्दर नगर, देहरादून का आवेदन उपखड कार्यालय पटेल रोड में दिनांक 05.04.2024

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

रजिस्ट्रेशन नं0 488050424001 को किया गया। अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि जिस भवन में श्रीमती सुनीता विद्युत संयोजन लेना चाहती है, वह भूमि विवादित है।

मान्नीय **"Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection 3.3.2 (4)(a) Provided that in case the applicant is unable to submit any of the document listed at a) to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.4 to Table 3.6 Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the Applicant, shgall not be liable for payment of any dues against such connection.**

Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the premises by District Magistrate/ Government Authorities/ Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new connection to such Applicant." के अनुसार परिवादी कब्जाधारी हेने की स्थिति में तीन गुना जमानत धनराशि अदा कर संयोजन पाने का अधिकारी है, जबकि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी द्वारा चाहे गये परिसर पर जिला मजिस्ट्रेट/सरकारी प्राधिकारियों/सरकार द्वारा आपत्ति उठाई गई हो। ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा परिवादी के आवेदन पंजीकरण संख्या 488050424001 को निरस्त किया जाना मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित विनियमों का उल्लंघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। अतः मंच द्वारा संस्तुति की जाती है उक्त प्रकरण में परिवादी के आवेदन पंजीकरण संख्या 488050424001 के क्रम में विपक्षी द्वारा नियमानुसार संयोजन अवमुक्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection** के नियम **"Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection 3.3.2 (4)(a) Provided that in case the applicant is unable to submit any of the document listed at a) to e) above, than the applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.4 to Table 3.6 Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3.**

The owner of the premises, if different from the Applicant, shgall not be liable for payment of any dues against such connection.

Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the premises by District Magistrate/ Government Authorities/ Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new connection to such Applicant." के तहत् परिवादी को उनके आवेदन पंजीकरण संख्या 488050424001 के क्रम में नियमानुसार संयोजन अवमुक्त करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट** नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। विपक्षी आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्तर्गत अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024	29/04/24	29.04-2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

E[illegible]tricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 121 / 2023

सतर सिंह बिष्ट — परिवादी
निवासी– 108, नैशविला रोड,
चौधरी बिहारी मार्ग, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 27.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि विद्युत बिल अत्याधिक आने के कारण परिवादी ने चैक मीटर हेतु आवेदन किया गया जिसके क्रम में परिसर पर चैक मीटर लगाया गया तथा चैक मीटर के जॉच उपरांत पाया गया कि 20 दिन में विद्युत खपत 11 यूनिट दर्शाया गया, जबकि माह नवम्बर का विद्युत बिल 2852.00 रू0 है जो कि अपेक्षा से कई गुना अधिक है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विद्युत बिल सही कराने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी परेड ग्राउंड की आख्या द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर में चैक मीटर स्थापित किया गया था , परन्तु जिस दिन चैक मीटर की गणना हेतु उपभोक्ता के परिसर में

lectricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जाने के उपरांत मेन मीटर में नो डिस्प्ले आने की वजह से मापक के खपत की गणना नहीं हो पायी, जिसके बाद चैक मीटर को ही वास्तविक मीटर के स्थान पर स्थापित कर दिया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त परिवाद पंजीकृत कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार विपक्षी द्वारा उन्हें उनकी वास्तविक खपत के आधार पर प्रत्येक माह विद्युत बिल प्रेषित किये जाते थे, परन्तु एकाएक बिल चक्र माह 05/.2023 से अधिक के बिल प्रेषित किये जा रहे थे, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

परिवादी के अनुसार उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खपत से अधिक की विद्युत का अंकन कर रहा है, जिसके स्पष्टीकरण हेतु परिवादी द्वारा अपने विद्युत मीटर की शुद्धता जॉच हेतु चैक मीटर के लिए आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 09/08/2023 को परिवादी के परिसर पर चैक मीटर (नया मापक सं0 U9339) स्थापित किया गया एवं दिनांक 01/09/2023 द्वारा चैक मीटर फाईनल किये जाते समय परिवादी के मेन मीटर में नो डिसप्ले की वजह से उक्त मीटर की जॉच चैक मीटर के सापेक्ष नहीं की जा सकी, जिसके पश्चात् विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित चैक मीटर को ही मुख्य मीटर के रूप में स्थापित कर दिया गया। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिवादी के मुख्य मीटर में कोई तकनीकी खराबी पूर्व से ही थी, जिस कारण उक्त मापक परिवादी की वास्तविक खपत से अधिक के उपभोग को दर्शा रहा था एवं वर्तमान में उक्त मापक तकनीकी खराबी के कारण नो डिसप्ले हो गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः उपरोक्त चर्चा से मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल चक्रों 09/2023 (पुराने मापक की अवशेष रीडिंग), 07/2023, 06/2023, 05/2023 में प्रेषित बिलों को आई0डी0एफ0 मानते हुए निरस्त कर उक्त बिल चक्रों को पूर्व की तीन बिल चक्रों 03/2023, 02/2023, 01/2023 क्रमशः (93+74+60 = 75.66) अर्थात् 76 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्रों 09/2023 (पुराने मापक की अवशेष रीडिंग), 07/2023, 06/2023, 05/2023 में प्रेषित बिलों को आई0डी0एफ0 मानते हुए निरस्त कर उक्त बिल चक्रों को पूर्व की तीन बिल चक्रों 03/2023, 02/2023, 01/2023 क्रमशः (93+74+60 = 75.66) अर्थात् 76 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें एवं नया विद्युत मापक स्थापित किये जाने के उपरांत उक्त मापक की वास्तविक रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बिलों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/04/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

27.04.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 139/2023

श्रीमती विमला भट्ट
नि0–मोहनपुर, पट्रोलियम यूनिवर्सिटी
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 27/04/2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके स्थायी विद्युत संयोजन स्थापित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक 02/08/23 को स्थाई विद्युत संयोजन हेतु मोहनपुर उपखण्ड कार्यालय में आवेदन किया था, दिनांक 23/08/23 को मेरे द्वारा रू0 85300.00 की धनराशि जमा कर दी गई थी तत्पश्चात् मुझे बताया गया कि आपकी साइट पर पोल लगा कर विद्युत लाइन निर्माण होने के पश्चात् मीटर लगा दिया जायेगा लेकिन वर्तमान तक 95 दिन बीत जाने के बावजूद मेरे परिसर पर मीटर स्थापित नहीं किया गया है। दिनांक 24/11/23 विद्युत विभाग के कर्मचारी पोल लगाने हेतु मेरे परिसर पर पहुँचे एवं मेरे द्वारा पोल लगाने हेतु उचित स्थान दिखाने

के बावजूद उनके द्वारा मेरे गेट के सामने पोल स्थापित कर दिया है, जबकि मेरे द्वारा उनको कहा गया था कि मेरे सामने मेरे दामाद का ही प्लाट है उसके किनारे लगा दीजिये लेकिन वे नहीं माने और मेरे गेट के सामने ही पोल खड़ा कर दिया। महोदय आपको अवगत कराना है कि मान्नीय विद्युत नियोजन आयोग के निर्देशानुसार विद्युत संयोजन दो माह के अर्न्तगत निर्मित हो जाना चाहिए था, लेकिन 95 दिन भी मेरा संयोजन स्थापित नहीं किया गया है। अतः आप से अनुरोध है मेरा संयोजन अवमुक्त कराने की कृपा करें, साथ ही विलंब से संयोजन स्थापित कराने पर मुझे क्षतिपूर्ति दिलवाने का कष्ट करें एवं गलत जगह स्थापित पोल को सही जगह स्थापित करवाने का कर का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

1. मेरे परिसर पर लगे पोल से पूर्व लगे पोल के स्थान की दूरी अत्याधिक है।
2. मेरे परिसर में विद्युत संयोजन के लिये जो धनराशि रू0 85300.00 के आंकलन के लिए जितनी दूरी गणना की गई थी, उसमें लगने वाले पोल की संख्या दूरी के हिसाब से तय की होगी, लेकिन उस गणना के हिसाब से ही पोल कर्मचारियों को आंवटन किये गये होगे, लेकिन कर्मचारी तीन पोल को वापस ले गये थे। मेरे द्वारा जमा की गयी धनराशि में लगने वाले पोल भी शामिल करके धनराशि निर्धारित की जाती है तो निर्धारित पोल से कम दूरी पर पोल लगाने पर उनकी संककित राशि को भी युक्त को वापस करी जायें।
3. विद्युत कर्मचारी द्वारा लगाये गये मीटर की पावति लेने का भी कार्य मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया, इस कारण उस स्थान पर उसकी उत्तरदायित्व किस की होगी। मीटर लगाते समय संज्ञान में क्यों नही किया गया।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1758, दिनांकित 13/12/2023 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 136/2023 श्रीमती विमला भट्ट निवासी– मोहनपूर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून बनाम उपाकालि0 के समक्ष योजित है। इस सम्बन्ध अवर अभियन्ता की आख्यानुसार अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता के पंजीकृत संख्या– 531020823012 विद्युत भार 3 किलोवाट विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु एल0टी0 पोल व लाईन का कार्य किया जाना था, जिसमें पी0सी0सी0 पोल 19 नं0 व एल0टी0 केबिल AB 3X95+1X70 Sqm की 560 मी0 केबिल का लाईन निर्माण किया जाना था, परन्तु स्थानीय लोगो द्वारा लाईन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया जिसमें खुद उपभोक्ता द्वारा भी लाइन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कि गयी तथा उपभोक्ता को दूरभाष संख्या– 8527119444 व 9897591076 पर भी सूचित किया गया था, जिसका भी उपभोक्ता द्वारा लाईन निर्माण कार्य में कोई सहयोग नहीं किया गया तथा जो पोल उपभोक्ता के गेट पर लगा है, वही सही स्थान पर लगा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता उपने परिसर से दूसरे परिसर पर लगाना चाहती है, तथा जब उपभोक्ता के परिसर पर मापक स्थापित किया जा रहा था तो दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, तब भी उपभोक्ता परिसर पर उपस्थित नहीं हो पाये और न ही कोई सहयोग किया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनकी मूल शिकायत है कि उनके द्वारा दिनांक 23.08.2023 को रू0 85300.00 जमा कराने के 95 दिन बीत जाने के बाद भी परिवादी के परिसर पर विद्युत संयोजन स्थापित नहीं किया गया एवं दिनांक 24.11.2023 को विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके बताये गये स्थान पर विद्युत पोल स्थापित न कर उनके गेट के सामने विद्युत पोल खडा कर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी के

निर्माण किया जाना था, परन्तु स्थानीय लोगो द्वारा लाईन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया जिसमें खुद उपभोक्ता द्वारा भी लाइन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कि गयी तथा उपभोक्ता को दूरभाष संख्या– 8527119444 व 9897591076 पर भी सूचित किया गया था, जिसका भी उपभोक्ता द्वारा लाईन निर्माण कार्य में कोई सहयोग नहीं किया गया तथा जो पोल उपभोक्ता के गेट पर लगा है, वही सही स्थान पर लगा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता उपने परिसर से दूसरे परिसर पर लगाना चाहती है, तथा जब उपभोक्ता के परिसर पर मापक स्थापित किया जा रहा था तो दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, तब भी उपभोक्ता परिसर पर उपस्थित नहीं हो पाये और न ही कोई सहयोग किया गया।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर उनके प्राकलन के सापेक्ष विद्युत लाईन का निर्माण मान्नीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के अनुसार कर दिया गया है। परिवादी द्वारा विद्युत पोलो को अपने निर्देशानुसार स्थापित किये जाने हेतु विद्युत विभाग को कहा गया था, जिसकी पुष्टि स्वंय परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में की गई है, जो कि मंच के मत में न्यायसंगत नहीं है क्योंकि विद्युत लाईन का निर्माण विपक्षी मानन्नीय UERC के द्वारा जारी विनियमों के अनुसार करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ है कि परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान लो वोल्टेज होने के सम्बन्ध में अपनी शिकायत मौखिक रूप से मंच के सम्मुख रखी थी, जिसके क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पूर्ण पैरामीटर सहित आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 03.01.2024 को परिवादी के परिसर का निरीक्षण किया गया एवं परिवादी

के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक सं० U-825144 में 239 वोल्टेज पायी गई, जिसके साक्ष्य के रूप में विपक्षी द्वारा मीटर की छायाप्रति संलग्न की गई जिसमें भी 239.4 वोल्ट प्रदर्शित हो रहा है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निस्तारण किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

27/04/2024 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

27/04/24 — (सईद अहमद) तकनीकी सदस्य

27.04.20 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 146 / 2023

विशाल मोगा व्यास
भूड हरिपूर, कालसी,
विकासनगर, देहरादून। — परिवादी

V/s

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 22.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

I Vishal Monga Propritor of M/s Mac Industries. I have written this application for correction in my bill. Due to covid my factory loss and I shuted down my business my last bill was of Rs. 55,078/- and I did not paid this bill and due to this my concern was

disconnected on date 28/05/2021. so I request you to correct my bill at the above mentioned amount.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 66 दिनांकित 04/01/2024 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है :–

1. परिवादी का संयोजन सं0 VN0K0000994801, 43कि0वा0 में STN-72 NEW RTS-5 GENERAL LT INDUSTRY ABOVE 25 KW श्रेणी में दिनांक 20.02.2019 को निर्गत किया गया था।
2. मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र सं0 089/030 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार परिवादी का विद्युत संयोजन दिनांक 04.03.2022 को स्थायी विच्छेदित किया गया (मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)।
3. स्थायी विच्छेदन के उपरान्त परिवादी का माह अप्रैल 2022 तक बीजक की कुल धनराशि रू0 2,13,379.00 को संशोधित कर अन्तिम बीजक में जमा प्रतिभूति धनराशि रू0 45795.00 को समायोजित करते हुए कुल रू0 1,28,854.00 प्रेषित किया गया। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा आतिथि तक भी नहीं किया गया है (बीजक की प्रति संलग्न)।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा करोना काल में अपने व्यवसाय में नुकसान होने के कारण विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया था, जिस कारण विद्युत विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन दिनांक 28/05/2021 को विच्छेदित कर दिया गया था। मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी की शिकायत के क्रम में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम

में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी का मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 089/830 दिनांक 04/03/2022 के अनुसार स्थायी विच्छेदित किया गया।

मंच द्वारा विपक्षी के प्रस्तुत अभिलेखों की गहनता से जॉच की गई एवं पाया गया कि विपक्षी की आख्या संख्या 66 दिनांक 04/01/2024 के साथ संलग्न सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 089/030 में पाया गया सीलिंग प्रकरण पत्र में उपभोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे कि मीटर की अंतिम रीडिंग 3524 KVAH पर संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि फाईनल बिल पर विपक्षी द्वारा स्वंय अंकित किया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन का अस्थायी विच्छेदन अवर अभियन्ता की रिर्पोट के अनुसार माह अप्रैल 2021 में किया गया, परन्तु एम0आर0आई0 रिर्पोट में दो फेज में वोल्टेज लगातार दिखाई दे रही है, इसलिए दी गयी विच्छेदन तिथि गलत है तथा मीटर उतारने की तिथि मानते हुये बीजक बनाया गया है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन की स्थायी तिथि स्पष्ट न होने के कारण एम0आर0आइ0 रिर्पोट को आधार मानकर निर्धारित की गई है, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि परिवादी की शिकायत कंज्यूमर हिस्ट्री से भी मेल खाती है, क्योकि कंज्यूमर हिस्ट्री में भी दिनांक 05/04/2021 से दिनांक 07/02/2022 तक 0 यूनिट के बिल बनाये गये है, परन्तु एकाएक 02/2022, 03/2022, 04/2022 में क्रमशः 72,15,6450 यूनिट के NR के बिल बनाये गये है, जिससे उक्त बिलों की सत्यता पर सवाल उठता है, मंच बिना ठोस तथ्यों के आधार पर स्थायी विच्छेदन तिथि मीटर उतारने की तिथि दिनांक 04/03/2022 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विपक्षी द्वारा स्वंय यह भी स्वीकार किया गया है कि अवर अभियन्ता की रिर्पोट के अनुसार उक्त संयोजन की अस्थायी विच्छेदन तिथि 04/2021 है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या VN0K0000994801 की स्थाई विच्छेदन तिथि अप्रैल, 2021 जो कंज्यूमर हिस्ट्री से भी स्पष्ट होती है, को मानते हुए स्थायी विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप संशोधित किया जाना तर्कसंगत न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित स्थायी विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी मांग पत्र रू0 1,28,854.00 को निरस्त करें एवं परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या VN0K0000994801 की स्थाई विच्छेदन तिथि अप्रैल, 2021 मानते हुये संशोधित स्थायी विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप जारी करें। इस प्रकार संशोधित कार्यालय ज्ञाप पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

22/04/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/04/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

22/04/2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 148 / 2023

श्री ठाकुर सिंघला — परिवादी
नि0–कुठाल गॉव, राजपुर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः २१ .04.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल को संशोधित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि संयोजन सं0 7011111121445 है, जो कि श्री ठाकुर सिंघला के नाम पर कुठाल गेट राजपुर में स्थापित है। इस संयोजन का कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काटा गया है, उपभोक्ता का विद्युत बिल कई समय से आई0डी0एफ0 में आ रहा था, जबकि विभाग द्वारा उपभोक्ता का मीटर काफी समय पूर्व बदल दिया गया और विभाग द्वारा जो बिल प्रार्थी को दिया गया उसकी धनराशि रू0 2,09,182.00 दी गयी, जबकि उक्त परिसर पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

एक व्यक्ति देख–रेख के लिए रखा है, जो कि सम्पत्ति की देखभाल के लिए है। अतः विद्युत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 09, दिनांकित 06/01/2024 से मंच को अवगत कराया है कि संयोजन सं0 7011111121445 श्री ठाकुर सिंघला के विद्युत बीजक के सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

1. संयोजन सं0 7011111121445 का विद्युत बीजक दिनांक 10.11.2016 से दिनांक 15.03.2023 तक आई0डी0एफ0 के आधार पर निर्गत किया गया, उक्त अवधि तक उपभोक्ता को कुल 68097 यूनिट का विद्युत बीजक निर्गत किया गया, जो कि सिस्टम द्वारा गलत आई0डी0एफ0 के विद्युत बीजक प्रस्तुत किये गये।
2. संयोजन सं0 7011111121445 के विद्युत मापक संख्या EL2379 माह नवम्बर 2020 (11/2020) में वि0प0शा0(उ0) द्वारा नये मापक संख्या SS15725693 द्वारा प्रतिस्थपित मापक किया गया था, किन्तु उनके द्वारा प्रतिस्थपित मापक की सीलिंग ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 27/07/2022 को फीड की गयी।
3. संयोजन सं0 7011111121445 आई0डी0एफ0 से पूर्व MU के आधार पर 03 बिलिंग चक्र (05/2016, 07/2016, 09/2016) का औसत के आधार पर प्रति माह 2186 Units की खपत की गयी थी।
4. संयोजन सं0 7011111121445 के नये मापक प्रतिस्थापित होने से पूर्व उपभोक्ता से 20 माह का आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बीजक लिया जाना है। जिसकी गणना निम्न प्रकार है–
   - प्रति माह अन्तिम MU बिलिंग के आधार पर प्रति माह औसत खपत 2186 Units/per month

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

- अतः 50 माह का आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बीजक– 2186 x 50 = 109300 units अतः उपभोक्ता का दिनांक 10.11.2016 से दिनांक 15.03.2023 का कुल विद्युत बीजक 109300 Units + 3745 units =113045 Units बनना है।

5. चूँकि उपभोक्ता को 15.03.2023 तक का 68097 Units का विद्युत बीजक निर्गत किया जा चुका है, किन्तु वास्तविक्ता में उपभोक्ता को उक्त अवधि का कुल 113045 Units का विद्युत बीजक संशोधित कर निर्गत किया जाना शेष है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त परिवाद पंजीकृत कराया गया है। परिवादी के शिकायती के क्रम मे विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या 7011111121445 विद्युत बीजक दिनांक 10.11.2016 से दिनांक 15.03.2023 तक आई0डी0एफ0 के आधार पर निर्गत किया गया। परिवादी के परिसर पर नया विद्युत मापक संख्या EL2379 माह नवम्बर (11/2020) में वि0प0शा0 (उ0) द्वारा नये मापक सं0 SS15725693 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा प्रतिस्थापित मापक की सीलिंग ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 27.07.2022 को फीड की गयी। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि परिवादी का विद्युत मापक आई0डी0एफ0 होने से पूर्व तीन बिल चक्रों में (05/2016, 07/2016, 09/2016) MU के आधार पर औसत के आधार पर प्रतिमाह 2186 यूनिट की खपत की गई है, जिस

कारण नये विद्युत मापक प्रतिस्थापित होने से पूर्व उपभोक्ता से 50 माह का आई0डी0एफ0 का बीजक 2186 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर बीजक बनाया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1)** , एवं **5.2.1 (7)** के विनियमों का उल्लंघन किया गया है, UERC के उक्त विनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि विपक्षी का मीटर defective/stuck/stopped/burunt (NA/NR/IDF/ADP/RDF) की स्थिति में तीन बिलिंग साईकिल के आधार पर केवल 2 विद्युत बिल चक्र लेने का अधिकारी है। अतः उक्त विनियम का उल्लंघन कर विपक्षी द्वारा परिवादी को 36 बिल चक्रों में NR/IDF के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये है, जो कि मंच के मत में न्यायोचित नहीं है, ऐसी स्थिति में परिवादी को बिल चक्र 11/2016 से 03/2023 36 बिल चक्रों में प्रेषित बिल निरस्त कर उक्त बिलों को मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1)** के विनियमों के तहत संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के बिल चक्र 11/2016 से 03/2023 तक NR/IDF के आधार पर प्रेषित बिलों को निरस्त कर उक्त बिलों के स्थान पर मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1)** के विनियम के तहत् संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी इस संबंध में हुए राजस्व हानि के दोषी कार्मिकों पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

29/04/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

29.04.20
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 167/2023

मनील दत्त जोशी
प्रतीत नगर, रायवाला
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश।

विपक्षी

कोरम
दिनांक: 22.04.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित कराया है।

परिवादी के कथनानुसार उनके संयोजन संख्या RK12311071744 है जिसका विद्युत बिल मेरे द्वारा निरन्तर मई 2023 तक जमा किया जा चुका है, माह जून 2023 से मेरा मीटर खराब हो गया था उसके बाद विभाग द्वारार खराब विद्युत मीटर न तो ठीक किया गया न ही विद्युत बिल दिये गये। मेरे द्वारा माह नवम्बर 2023 में शिकायत दर्ज कराई गयी थी जिसके उपरान्त विभाग द्वारा खराब मीटर को बदला गया, किन्तु मीटर बदलते समय विभाग द्वारा सीलिंग

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और न ही अन्तिम रीडिंग भी नहीं बताई गई जो कि विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों का उल्लंघन है। विद्युत नियामक आयोग के प्रावघान अनुसार 5.1.7 (1) के तहत मीटर खराब होने की दशा में अधिकतम दो बार ही बिल आई0डी0एफ0 बिल दिये जाने का प्रावधान है। विद्युत विभाग द्वारा उक्त विनियम का भी उल्लंघन किया गया है तथा विभाग द्वारा मुझे वर्तमान में 9995.00 धनराशि का विद्युत बिल दिया गया जो कि गलत है। मेरा सामान्यतः दो माह का विद्युत बिल 1200 से 1300 के बीजक में आता है, अत्याधिक गलत धनराशि के बिल का भुगतान करने में असमर्थ हूँ। अतः मेरे विद्युत बिल को विद्युत नियामक आयोग के प्राविधानानुसार संशोधित कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्र 126, दिनांकित 03/02/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री मनील जोशी, निकट प्रतीत नगर, रायवाला, देहरादून के विद्युत संयोजन सं0 RK12311071744 के विद्युत बिल माह 04/2023 में मीटर रीडिंग 13631 Kwh तक MU में निर्गत हुये है। माह 05/2023 में उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या 230610 खराब हो जाने के पर बिल आई0डी0एफ0 का निर्गत किया गया है। माह 05/2023 से माह 12/2023 तक उपभोक्ता के बिल आई0डी0एफ0 के निर्गत हुये है जिनकी कुल धनराशि 8448.00 है।

माह 11/2023 में उपभोक्ता का आई0डी0एफ0 मीटर बदल कर मीटर संख्या 1023518 स्थापित कर दिया गया, जिसकी वर्तमान रीडिंग 201 Kwh तथा पुराने बदले गये मीटर संख्या 230610 की बैलेंस औसत यूनिट 47 का कुल यूनिट 248 Kwh की कुल धनराशि 9995.00 का बिल निर्गत हुआ है। उपभोक्ता द्वारा माह 05/2023 से कोई भी विद्युत बिल की धनराशि जमा नहीं कराई गई है। जिससे माह 01/2023 में निर्गत बिल में पूर्व में माहों में निर्गत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो.
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आई0डी0एफ0 के बिलों की धनराशि भी शामिल है। इस कार्यालय द्वारा उपभोक्ता का बिल विद्युत मीटर परिवर्तन किये जाने के पश्चात् पुराने मीटर की विगत 3 माह की मीटर रीडिंग का औसत लेते हुए संशोधित कर सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से समायोजन कर दिया गया है जिसकी कुल धनराशि 6631.00 है। अतः उपभोक्ता का विद्युत बिल 9995.00 / रू0 का संशोधन कर के 6631.00 का कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत विद्युत बिलों के संबंध में है। परिवादी के शिकायती के क्रम मे विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या RK12311071744 विद्युत बिल माह 04 / 2023 में मीटर रीडिंग 13631 Kwh तक MU में निर्गत हुये है। माह 05 / 2023 में उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या 230610 खराब हो जाने के पर बिल आई0डी0एफ0 का निर्गत किया गया है। माह 05 / 2023 से माह 12 / 2023 तक उपभोक्ता के बिल आई0डी0एफ0 के निर्गत हुये है जिनकी कुल धनराशि 8448.00 है। माह 11 / 2023 में उपभोक्ता का आई0डी0एफ0 मीटर बदल कर मीटर संख्या 1023518 स्थापित कर दिया गया जिसकी वर्तमान रीडिंग 201 Kwh तथा पुराने बदले गये मीटर संख्या 230610 की बैलेस औसत यूनिट 47 का कुल यूनिट 248 Kwh की कुल धनराशि 9995.00 का बिल निर्गत हुआ है। उपभोक्ता द्वारा माह 05 / 2023 से कोई भी विद्युत बिल की धनराशि जमा नहीं कराई गई है। जिससे माह 01 / 2023 में निर्गत बिल में पूर्व में माहो में निर्गत आई0डी0एफ0 के बिलों की धनराशि भी शामिल है। इस कार्यालय द्वारा उपभोक्ता का बिल विद्युत मीटर परिवर्तन किये जाने के पश्चात् पुराने मीटर की विगत 3 माह की मीटर रीडिंग का औसत लेते हुए संशोधित कर सी0सी0बी0आर0 के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माध्यम से समायोजन कर दिया गया है जिसकी कुल धनराशि 6631.00 है। अतः उपभोक्ता का विद्युत बिल 9995.00 / रू0 का संशोधन कर के 6631.00 का कर दिया गया है।

मंच द्वारा अवलोकन किया गया है एवं पाया गया कि विपक्षी द्वार परिवादी को 16.04.2023 से 23.11.2023 अर्थात् चार बिल चक्रों में आई0डी0एफ0 मीटर के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये गये एवं आई0डी0एफ0 मीटर बदलते समय न तो परिवादी को सीलिंग प्रमाण पत्र मौके पर दिया गया और न ही आई0डी0एफ0 मीटर के अन्तिम रीडिंग की पुष्टि हेतु परिवादी को परीक्षणशाला में बुलाया गया। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** एवं **5.1.7 (1)** का उल्लंघन किया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर की जॉच हेतु समय से पूर्व सूचित किया जाना अतिआवश्यक है एवं आई0डी0एफ0 मीटर होने की स्थिति में पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत के आधार पर केवल दो ही विद्युत बिल जारी किये जा सकते हैं। अतः इन परिस्थितियों मे विपक्षी द्वारा परिवादी को संशोधित बिल मान्नीय UERC के विनियम अनुसार संशोधित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि पत्रांक सं0 126 दिनांकित 03.02.2024 के साथ संलग्न संशोधित बिल को निरस्त कर उक्त बिल के स्थान पर मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1) के तहत मीटर खराब होने की अवधि के केवल दो विद्युत बिलों को पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत खपत के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

22/04/2024	22/04/24	22/04/2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 180/2023

Shri. Raj kumar Suri **V/s** **Executive Engineer, EDD, (C) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 15.04.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 15.04.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को दिनांक 08.02.2024 को बिना किसी कारण के परिवर्तित कर दिया गया है एवं उसके पश्चात् दिनांक 24.02.2024 को जो बिल दिया गया वह आर0डी0एफ0 के आधार पर दिया गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 115 दिनांकित 14.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.02.2024 को चैक मीटर फाईनल करते समय उपभोक्ता का पुराना मीटर बदला गया था, जिस कारण आर0डी0एफ0 का बिल बना था जिसको संशोधित कर दिया गया है।

अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी शिकायत के समाधान पर अपनी लिखित संतुष्टि सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/04/2024 15/04/24 15.04.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 188/2023

श्रीमती जशोदा शर्मा, — परिवादी
पता–पूर्व पार्षद, मसूरी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

दिनांक : 29.04.2024

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत पोल स्थापित कराये जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि मसूरी में कटरिया स्टेट एवं सिल्वरटन स्टेट में नयें विद्युत संयोजन एवं विद्युत पोलों की आवश्यकता है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त विद्युत विभाग को उक्त के संबंध में आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन उपरान्त मान्नीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रद्त नियामानुसार विद्युत पोल स्थापित किये जा सकते हैं।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन उपरान्त माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत नियामानुसार विद्युत पोल स्थापित किये जा सकते हैं। अतः इस परिस्थिति में मंच को मत है, की वांछित आवेदन किये जाने के पश्चात् विपक्षी द्वारा नियामानुसार परिवादी की शिकायत का समाधान किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आवेदन होने के उपरान्त नियामानुसार कार्यवाही कर परिवादी की शिकायत का समाधान करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024 | 29/04/24 | 29.04.20

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 190 / 2023

श्री दलपती,
पता–49, लण्डोर बाजार, मसूरी, देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम
दिनांक : 29.04.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत मापक की सीलिंग में दर्ज गलत तिथि को सही तिथि दिनांक 01.02.2023 करने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को दिनांक 01.02.023 में बदला गया था, जिसकी उन्हें कोई भी सीलिग नहीं दी गई। उनके द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद जब सीलिंग काटी गई तो उसमें अगस्त माह की तिथि अंकित की गई। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त के संबंध में विद्युत विभाग को सीलिंग तिथि अगस्त के स्थान पर सही दिनांक 01.02.2023 करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी की शिकायत के क्रम में सीलिंग की दिनाक को संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/24
(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

29.04.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 189 / 2023

श्री प्रमोद कुमार,
पता–आर0के0 वर्मा रोड़, मसूरी, देहरादून। — परिवादी

एवं

परिवाद सं0 191 / 2023

श्री महेन्द्र कुमार,
पता–ऐज हिल स्टेट, टिहरी बाईपास रोड़, मसूरी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम

दिनांक : 29.04.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

उपरोक्त वाद परिवादीगण की ओर से चैक मीटर स्थापित कराये जाने एवं चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट के अनुसार बिल संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किये गये हैं।

उपरोक्त दोनों परिवाद एक ही प्रकृति के हैं जिनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादीगण के अनुसार कि उनका विद्युत मापक पिछले माहों की विद्युत खपत से अधिक का उपभोग दर्शा रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि मीटरों की शुद्धता जॉच करने हेतु जाने हेतु विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विद्युत मीटरों के सापेक्ष चैक मीटर स्थापित कर चैक मीटर फाईनल कर दिया गया है। अतः इस प्रकार शिकायत का निवारण किया जा चुका है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वादों को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता हैं। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायतों का निवारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाते है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024 — (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/24 — (सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

29.04.24 — (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0187 / 2023

श्री सोहन लाल,
पता–एम0डी0डी0ए0 पार्किंग, मसूरी, देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 195 / 2023

श्री पदमन
नि0 स्टेंडिंग हाल, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 197 / 2023

श्री फयाज हुसैन
नि0 बुच्ड खाना, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 198 / 2023

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत
नि0 हुसैन गंज, लाइब्रेरी, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 199 / 2023

श्री अरून पंवार,
नि0 अनुपम स्टेट, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 201 / 2023

श्रीमती मुन्नी देवी,
नि0 टिहरी बस अड्डा, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 203 / 2023

श्रीमती रोशनी श्रीवास्तव
नि0 पूर्णिमा होटल, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 204 / 2023

श्री सचिन चौहान,
नि0 दौलताबाद हाऊस लंडौरा, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 205 / 2023

श्री गुलाम महोम्मद,
नि0 हीरा भवन, कुलडी, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

परिवाद सं0 206 / 2023

श्रीमती मनीषा,
नि0 ग्राम0 क्याकुली, मसूरी देहरादून। एवं — परिवादी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री सईद अहमद
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक : 29.04.2024
न्यायिक सदस्य
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

उपरोक्त वाद परिवादीगण की ओर से आई0डी0एफ0 मीटर बदलवाये जाने के संबंध में योजित किये गये हैं।

उपरोक्त सभी परिवाद एक ही प्रकृति के हैं जिनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

परिवादीगण के अनुसार कि उनका विद्युत मापक वर्तमान में खराब हो चुका है, जिसे विद्युत विभाग द्वारा बदला नही गया है, जिस कारण हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः मंच से निवदेन है कि विद्युत विभाग को हमारे खराब विद्युत मीटर को बदलने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सभी उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर बदलकर शिकायत का निवारण किया जा चुका है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वादों को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता हैं। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
G- ar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun - 248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायतों का निवारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाते है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024	29/04/24	29.04.2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 192/2023

श्री रणजीत सिंह चौहान,
पता–पूर्व पार्षद, मसूरी, देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

दिनांक : 29.04.2024

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत पोल स्थापित कराये जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गयां है, कि आई0डी0एच0 धनोलटी बाईपास पास स्थित मजदूर भवनों में हेतु दो विद्युत पोल एवं मोहला लाईट लगाये जाने की आवश्यकता है। अतः मंच से निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नये विद्युत पोल स्थापित किये जाने हेतु उपखण्ड द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा विद्युत पोल हेतु द्वारा उपखण्ड स्तर से प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। अतः इस परिस्थिति में मंच को मत है, की उपरोक्त प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् विपक्षी द्वारा नियामानुसार परिवादी की शिकायत का समाधान किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरान्त नियामानुसार कार्यवाही कर परिवादी की शिकायत का समाधान करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/24
(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

29.04.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 193/2023

श्री राजकुमार,
पता–साउथ एण्ड शॉप, कुलारी, मसूरी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खराब विद्युत मापक परिवर्तित/चैक कराये जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके संयोजन संख्या 7065136053044 पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो चुका है। अतः मंच से निवेदन है कि संबंधित को उक्त खराब विद्युत मापक परिवर्तित/चैक करने के आदेशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी के शिकायत के क्रम में परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को चैक किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त मापक सहीं प्रकार से कार्य कर रहा है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को चैक किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त मापक सही प्रकार से कार्य कर रहा है। अतः इस परिस्थिति का परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024	29/04/24	29.04.24
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 194/2023

श्री राजकुमार,
पता–साउथ एण्ड शॉप, कुलारी, मसूरी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खराब विद्युत केबल हटाये जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि माल रोड़ में उनकी चिक चाकलेट के समीप है। उनकी दुकान की दीवार से विद्युत विभाग की केबल जा रही है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त केबिल को हटवाये जाने हेतुत विद्युत विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के क्रम में उक्त परिसर का स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्युत केबल सुरक्षित स्थान पर लगायी गयी है। स्थल पर भवन स्वामी एवं किरायेदार के मध्य विवाद है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्ष्पट है कि परिवादी द्वारा विद्युत केबल को स्थानातरित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि उक्त विद्युत केबिल वर्तमान में सुरक्षित स्थान पर लगायी गयी है। अतः इस परिस्थिति का परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

29.04.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 196/2023

मै0चेयरमैन एलेन् गौन,
पता–नियर लेगवेज स्कूल, लंणौरा कैट,
मसूरी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खराब विद्युत मापक को बदले जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनका विद्युत लौड 5 किलोवाट का है और उनके परिसर पर सिंगल फेज का मीटर चल रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को लोड के सापेक्ष विद्युत मापक को परिवर्तित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का परिसर बन्द होने के कारण मीटर परिवर्तन की कार्यवाही लम्बित है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्प्ष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर मीटर परिवर्तित किये जाने हेतु कार्मिक भेजा गया था, परन्तु परिवादी का परिसर बन्द होने के कारण विद्युत मापक परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की उपलब्धता होते ही परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को वर्तमान स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट के सापेक्ष स्थापित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की उपलब्धता होते ही परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को वर्तमान स्वीकृत विद्युत भार 5 किलोवाट के सापेक्ष स्थापित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024 — (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/24 — (सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

29.4.24 — (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 200/2023

श्री जमुना प्रसाद, परिवादी
पता–ग्रीन रेस्टोरेन्ट,कुलड़ी,मसूरी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक : 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खराब विद्युत मापक को बदले जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनका विद्युत मापक काफी समय से खराब हो रखा है। अतः मंच से निवेदन है कि प्रार्थी का मीटर बदलवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है इस हेतु उपभोक्ता द्वारा कार्य पूर्ण तक विद्युत मीटर बदलने से मना किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर मीटर परिवर्तित किये जाने हेतु कार्मिक भेजा गया था, परन्तु परिवादी का परिसर बन्द होने के कारण विद्युत मापक परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी मान्नीय विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार परिवादी के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक को अतिशीघ्र परिवर्तित कियाा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार परिवादी के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक को अतिशीघ्र परिवर्तित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/24

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

29.04.24

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 202/2023

श्री इन्दर सिंह,
पता–67/1, मलीनगर इस्टेट, लेणौरा कैंट,
मसूरी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खराब विद्युत मापक को बदले जाने के संबंध में दिनांक 05.04.2024 को आयोजित मसूरी कैम्प में दर्ज कराया गया है।

परिवादी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनका विद्युत मापक काफी समय से खराब हो रखा है। अतः मंच से निवेदन है कि प्रार्थी का मीटर बदलवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है इस हेतु उपभोक्ता द्वारा कार्य पूर्ण तक विद्युत मीटर बदलने से मना किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर मीटर परिवर्तित किये जाने हेतु कार्मिक भेजा गया था, परन्तु परिवादी का परिसर बन्द होने के कारण विद्युत मापक परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी द्वारा यदि अपने विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराना चाहता है तो परिवादी द्वारा मान्नीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियामों अनुसार आवेदन करने के पश्चात् विपक्षी द्वारा नियामानुसार कार्यवाही किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है यदि परिवादी अपने विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराना चाहता है तो परिवादी द्वारा मान्नीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियामों अनुसार आवेदन करने के पश्चात् विपक्षी द्वारा नियामानुसार कार्यवाही करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024	29/04/24	29.04.24
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 207/2023

श्री नरेन्द्र सिहं, — परिवादी
पता–कयार कुली, मसूरी, देहरादून। एवं

परिवाद सं0 208/2023

श्री नरेन्द्र सिहं, — परिवादी
पता–कयार कुली, मसूरी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,(उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 29.04.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

उपरोक्त वाद परिवादीगण की ओर से मीटर बदलवाये जाने के बाद भी सीलिंग न चढाये जाने के संबंध में योजित किये गये हैं।

उपरोक्त दोनों परिवाद एक ही प्रकृति के हैं जिनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

परिवादीगण के अनुसार कि उनका विद्युत मापक बदल दिया गया है, जबकि मीटर सीलिंग शिकायत दर्ज करने की तिथि तक भी चढायी गई है। अतः मंच से निवेदन है कि मीटर सीलिंग चढायें जाने हेतु विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में अपने पत्रांक संख्या 08 दिनांकित 14.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विद्युत मीटरों की सीलिंग प्रमाण पत्र अनुसार उक्त मापको को अंकिक्रत किया जा चुका है, इस प्रकार शिकायत का निवारण किया जा चुका है।

29/04/2024

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वादों को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता हैं। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायतों का निवारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाते है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/04/2024 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

29/04/24 — (सईद अहमद) तकनीकि सदस्य

29.04.2024 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 215/2023

M/S Tata Communications Global Facilities **V/s** **Executive Engineer, EDD, Doiwala**

ORDER SHEET

Date- 22.04.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 22.04.2023 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई के दौरान लेजर की प्रति प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका एक कार्यालय लच्छीवाला,देहरादून में स्थित है, जिसका खाता संख्या 40100052603। विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए आर0टी0जी0एस0 दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग द्वारा हमें अपना वेंडर मास्टर बनाया है।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या 663 दिनांकित 03/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परिवाद संबंधी विद्युत संयोजन संख्या DW0K00000496 विद्युत भार 300 कि0वा0 दिनांक 01.04.2006 को निर्गत हुआ है। उपभोक्ता को अंतिम बिल रू0 392,144.00 दिनांक 04.03.2024 को निर्गत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपभोग की राशि रू0 50 लाख से अधिक होने के कारण कर के रूप में केवल वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 373470.00 का भुगतान किये जाने के कारण बिल भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण हो पायी है।

विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान कंज्यूर लेजर की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें परिवादी का Closing Balance 0.00 अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

वादी द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी की उपरोक्त आख्या पर अपनी संतुष्टि व्यक्त कर दी गई है।

अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी शिकायत के समाधान पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/04/2024 22/04/24 22.04.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य
सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक